छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 736/2008

1.	श्री नोहरूराम सिन्हा, द्वारा– श्री ललित ठाकुर, अधिवक्ता, कार्यालय 27/11, हरिनगर, कातुलबोड़, दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी/थाना प्रभारी, कार्यालय थाना–गुरूर, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	प्रति अपीलार्थी

//आदेश//

(दिनांक 24 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री नोहरूराम सिन्हा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/थाना प्रभारी, कार्यालय थाना–गुरूर, जिला–दुर्ग के समक्ष दिनांक 06.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.06.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील लेने से इंकार करने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी से स्पष्टीकरण मॉगा गया था, उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उन्होंने अपील लेने से इंकार करना नहीं बताया गया है, किन्तु अपीलार्थी ने डाक विभाग के डाकिये के हस्ताक्षर से दिनांक 20.06.2008 की टिप्पणी लिखे लिफाफे की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें ''प्राप्तकर्ता लेने से इंकार'' लिखा है। अतः इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को निर्देश दिये गये थे कि वे डाक विभाग के डाकिये और अपीलार्थी को बुलाकर इस संबंध में जॉच करें। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को यह अनुशंसा की जाती है कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बालोद में जिनके द्वारा भी प्रथम अपील का आवेदन लेने से इंकार किया गया है, उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। प्रकरण में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण विलंब के लिए श्री डी0एस0 देहारी, तत्कालीन थाना प्रभारी/जन सूचना अधिकारी, थाना–गुरूर को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 19.06.2009 को प्रस्तुत किया गया। उत्तर में उन्होंने बताया कि उनका कार्यकाल थाना–गुरूर में वर्ष 2004 से जून, 2008 तक रहा है तथा इस दौरान उनके पास दस्तावेज की मॉग करने का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु अपीलार्थी का इस संबंध में कहना है कि उन्होंने थाना–गुरूर में दिनांक 09.05.2008 को आवेदन दिया था, जिसे उक्त थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल क्रमांक–27 द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसकी पावती उन्होंने बतायी है। प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त थाना में सूचना का अधिकार के आवेदनों के प्रति पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अतः पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को इस संबंध में कड़े निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त थाना में सूचना का अधिकार के आवेदनों के निराकरण के संबंध में तत्काल निरीक्षण करें, यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो त्रुटिकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। विशेष रूप से इस प्रकरण में हेड कांस्टेबल क्रमांक–27 के विरूद्ध भी धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्क कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है, जिन्होंने प्राप्त आवेदन को थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि तत्कालीन थाना प्रभारी का उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु अब वर्तमान थाना प्रभारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि आवेदन उनके यहॉ उपलब्ध नहीं होता है तो अपीलार्थी से आवेदन की प्रति प्राप्त कर चाही गई जानकारी उन्हें 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

यह अत्यंत खेदजनक है कि पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को पूर्व में लिखे जाने के बावजूद उनके द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया और केवल अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारी की ओर पत्र भेजकर संतुष्ट हो गये तथा अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय नहीं करायी जा सकी। अतः भविष्य हेतु उन्हें सचेत किया जाता है और उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि अब अपीलार्थी को जानकारी निःशुल्क दिलवाये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा आयोग को पालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com